

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रत्याभूति ऋणदाता को जात ऋणभार की जानकारी : आत नहीं

प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति ब्याज अधिनियम 2002 की वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनः निर्माण तथा प्रवर्तन के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना।

आम जनता विशेष रूप से ऋणकर्ता (ओं), रहनकर्ता (ओं) एवं गारंटर (ओं) को एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि प्रतिभूति ऋणदाता को रहन/बंधक/प्रभारित निम्न वर्णित चल/अचल संपत्तियों का निर्माणात्मक/भौतिक/संकेतिक कब्जा जैक, बैंक/प्रतिभूति ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है को सम्यन्त ऋणकर्ताओं और गारंटर्स से बैंक/प्रतिभूति ऋणदाता को देय इसकी कच्चा राशि को वसूली हेतु निम्न तालिका में निर्दिष्ट अनुसार तिथियों पर "जैसे है जहां है" "जैसे है जो है" एवं "जो कुछ भी वहां है" के आधार पर बेचा जाएगा। आश्रित कीमत एवं जमा धरोहर राशि सर्वोपेत संपत्तियों के प्रति निम्न तालिका में निर्दिष्टानुसार होगी।

प्रतिभूति आस्तियों की बिक्री की अनुसूची

लॉट सं.	शाखा का नाम	संपत्ति/यों के मालिक (ओं)/ रहनकर्ता (ओं) का नाम	अचल रहन रखी संपत्ति/यों का ब्यौरा एवं स्वामी (यों)/ रहनकर्ता का नाम	मांग सूचना की तिथि		आश्रित कीमत	ई-नीलामी की तिथि एवं समय
	खाते का नाम			बकाया राशि	कच्चे की तिथि		
	ऋणकर्ता/गारंटर्स का नाम एवं पता			कच्चे की प्रकृति		संवृद्धि बोली राशि	
1.	शाखा:- एआरएमबी, सेक्टर 17-बी, चंडीगढ़	श्रीमती सुदेश शर्मा पत्नी विजय शर्मा	सब रजिस्ट्रार, धानेसर के साथ पंजीकृत म्यूटेशन संख्या 4244 के साथ पठित बिक्री विलेख संख्या 4985 दिनांक 27.07.2010 के द्वारा श्रीमती सुदेश शर्मा पत्नी विजय शर्मा के स्वामित्व में नगरपालिका समिति धानेसर, तहसील धानेसर, जिला कुरुक्षेत्र की सीमा के बाहर गांव खेतो मारकंडा में स्थित वर्ष 2017-18 की जमाबंदी के अनुसार, खेवट संख्या 94/90 खतौनी संख्या 209 से 236, किता 50 से शामिल 150 वर्ग गज यानि 05 सरला यानि 216K-04M माप में से, 5/4324 हिस्सा भूमि। सीमाएं और माप निम्नानुसार हैं (बिक्री विलेख के अनुसार): उत्तर: गली 20' चौड़ी, दक्षिण: दूसरी का प्लॉट, पूर्व: दूसरी का प्लॉट, पश्चिम: दूसरी का प्लॉट। आश्रय उत्तर से दक्षिण 54°, पूर्व से पश्चिम 25°	18.06.2024		RP: Rs. 25,50,000/-	20.04.2026
	मैसर्स श्री मरलीधर इंडस्ट्रीज			Rs. 1,03,67,609.45	01.06.2024 से अतिरिक्त ब्याज साथ ही विविध, चार्ज, वसूली घटते हर अगर पूरी अदायगी अभी तक नहीं हुई है	EMD: Rs. 2,55,000/-	पूर्व. 11.00 बजे से अप. 4.00 बजे
	मैसर्स श्री मरलीधर इंडस्ट्रीज, गांव बापोली तहसील रादौर जिला यमुनानगर, श्री मोहित साहनी पुत्र सुभाष चंद्र साहनी, फोन: 9315331176, 296-आर, सारनी चौक के पास, मांडल टाउन यमुनानगर-हरियाणा, श्रीमती प्रीति साहनी पत्नी स्व. श्री मनीष साहनी, फोन: 9996019447, टीएच-046, डीएलएफ न्यू टाउन हाइट्स, बड़ा गांव के पास, सेक्टर 86, खेड़की रोड, गुरुग्राम-हरियाणा, यहाँ भी: 296-आर, मांडल टाउन, यमुनानगर-हरियाणा, श्री. राजन सोधी पुत्र तख्तिर सोधी, फोन 9996019447, मकान नंबर . 52/75-प, धामर कालोनी, एम.एल.एन. कॉलेज के पास, यमुनानगर-हरियाणा, श्री इय्याम लाल गोयल पुत्र शिव प्रसाद गोयल फोन 9888148837, मकान नंबर . 507, वार्ड 3, न्यू कालोनी, लाडवा-136132, कुरुक्षेत्र-हरियाणा, यहाँ भी: मकान नंबर . 524-बी, चोपड़ा गार्डन, यमुनानगर-हरियाणा, श्री विजय कुमार पुत्र जय भगवान फोन 9315468100, मकान नंबर . 14, हरबंसपुर, आईटीआई के पास, यमुनानगर-हरियाणा, श्रीमती सुदेश देवी उर्फ सुदेश रानी पत्नी विजय कुमार, मकान नंबर . 14, हरबंसपुर, आईटीआई के पास, यमुनानगर-हरियाणा।			11.02.2025		संवृद्धि बोली राशि Rs. 50,000/-	
				संकेतिक प्रकृति			

नोट : सभी अचल संपत्ति हेतु संपर्क व्यक्ति : पंजाब नेशनल बैंक, प्राधिकृत अधिकारी श्री जगदीश लाल, एआरएमबी, चंडीगढ़, मोबाईल नं. : 7527842020

ई-नीलामी बिक्री की नियम एवं शर्तें :-

बिक्री निम्न अतिरिक्त शर्तों एवं प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियमों 2002 में निर्धारित नियमों एवं शर्तों के विषय में होगी:-

- (1) सम्रप्ति की बिक्री "जैसे है जहां है आधार" "जैसे है जो है आधार" एवं "जो कुछ भी है जहां है आधार" पर की जाएगी।
- (2) उपरोक्त निर्दिष्ट अनुसूची में निर्दिष्ट प्रत्येक पक्षसंपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोपेत जानकारी अनुसार निर्दिष्ट किया गया है, परन्तु प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत कथन या विलोपन हेतु जिम्मेवार नहीं होगा।
- (3) नीलामी बिक्री ई-ऑक्शन पोर्टल <https://baanknet.com> द्वारा ऑनलाइन की जाएगी।
- (4) बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों हेतु कृपया <https://baanknet.com> एवं www.pnbindia.in पर जाएं।

सर्फेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत 30 दिन की सांविधिक बिक्री सूचना